

स्मरण-पत्र

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./ उ.व.स./ 2022-23/5130

दिनांक 11-11-23

निमित्त:- अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड शाहबाद।

विषय :- जन पद बारां में आर.आर.एस.एम.पी योजना के तहत नहरपुरा से झीरी तक सड़क निर्माण हेतु 3.2 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु।

Proposal no FP/Rj/Road/6956/2014

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 10112 दिनांक 22.09.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय का पत्र क्रमांक सं०८बी/राज०/०६/३०/२०१५ एफ.सी./२२४ दिनांक ०४.०८.२०१६ से प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अंकित शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट अंडरटैकिंग सहित ५ सैट में इस कार्यालय में प्रेषित करने हेतु पूर्व में भी आपको इस कार्यालय के पत्र क्रमांक १०११२ दिनांक २२.९.२२ को पत्र लिखा गया था परन्तु आप द्वारा आज दिनांक तक भी पालना रिपोर्ट प्रेषित नहीं की गई है।

बिन्दु संख्या-२ के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वेज रेट परिवर्तन होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में परिवर्तन हुआ है। ३.२ है० क्षेत्र में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु $(198000 \text{ per ha} \times 3.2 \text{ ha} = 633600)$ रु लाख Online e-portal जमा करा रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करें।

बिन्दु संख्या -४ के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज० जयपुर के पत्र क्रमांक १५-२७ दिनांक ०७.०१.२०२२ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मुल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि $(3.2 \times 957780 \text{ lakh} = 3064896 \text{ लाख})$ रुपये केम्पा मद Online e-portal (<https://parivesh.nic.in/>) जमा करा रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करें।

बिन्दु संख्या- ९ के क्रम में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक ७-२३/ २०१२ - एफसी दिनांक २४.०१.२०१३ से माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (छलज) के निर्णय दिनांक ०७.११.१२ की पालना में भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति २ दैनिक समाचार पत्रों (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में प्रकाशित करा समाचार पत्रों की प्रति पालना के साथ इस कार्यालय में प्रेषित करें। ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

नोट:- राज्य सरकार द्वारा वेज रेट परिवर्तित होने के कारण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की दरों में परिवर्तन हुआ है वेज रेट २५२ से /२५९ हो गई है। डिमांड नोट भी २५९ की वेज रेट से ही बनाया गया है।

Ar
Ant up m
Q
28/11/23

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां